



कार्यालय पुलिस अधीक्षक आजमगढ़

website- <http://uppolice.gov.in> E-mail- spazh-up@nic.in proazh@gmail.com

पत्र सं.- 290/22

दिनांक- 03-सितम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-महराजगंज

विपक्षी को जेल भेजने के लिए परिजनों को अपहरण की भ्रामक सूचना व वाट्सएप्प मैसेज भेजने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 29.08.22 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रा0 पत्र दिया गया कि थाना बिलरियागंज की एक महिला द्वारा वादिनी का लड़का संदीप उम्र 24 वर्ष जो दिनांक 20.08.22 समय 10.00 बजे दिन में घर से सरदहा बाजार गया था, को मारने के लिए गायब करवा दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 330/22 धारा 364 भा0द0वि पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सुधीर पाण्डेय द्वारा की जा रही है।

दौराने विवेचना तथ्य प्रकाश में आया कि अपहृत द्वारा खुद मनगढ़न्त कहानी बनाकर तथा के खिलाफ झूठा मुकदमा पंजीकृत कराने की नियत से खुद की हत्या कराने के लिए बलराम के साथ मिलकर मनगढ़न्त कहानी रची थी बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में मनीषा (काल्पनिक नाम) थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ की नामजदगी गलत करते हुए आरोपी 1. संदीप कुमार पुत्र उमाशंकर राम निवासी सिकन्दपुर आइमा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ 2. बलराम सिंह पुत्र स्व0 रामप्रसाद सिंह सा0 छितही बाजार थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया का नाम प्रकाश में लाया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 364 भादवि को विलोपित करते हुए धारा 182 ,195 भादवि का बढोत्तरी की गयी।

दिनांक- 03.09.2022 को थानाध्यक्ष महराजगंज कमल कान्त वर्मा मय हमराह द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त 1. संदीप कुमार पुत्र उमाशंकर राम निवासी सिकन्दपुर आइमा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ 2. बलराम सिंह पुत्र स्व0 रामप्रसाद सिंह सा0 छितही बाजार थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को बवाली मोड़ पास से **समय करीब 8.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।**

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त संदीप कुमार ने बताया कि साहब थाना बिलरियागंज क्षेत्र की एक लड़की से प्यार करता था, लड़की की शादी हो गयी थी लेकिन मैं लड़की से शादी के बाद भी बात करना चाहता था, लेकिन लड़की ने मना कर दिया तो मैंने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हे झूठे मुकदमें में फंसा दूंगा। जिसके तहत संदीप कुमार ने दिनांक 20.08.22 बिना किसी को बताये मुम्बई चला गया। मुम्बई से पूणे पहुँचे तो वहां बलराम सिंह पुत्र स्व0 रामप्रसाद सिंह सा0 छितही बाजार थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया मिला जिससे दोस्ती किया तथा एक नयी सिम बलराम के द्वारा मुझे उपलब्ध कराया गया। मैंने अपने भाई के मोबाइल पर बहुत डराने धंमकाने वाले मैसेज भेजे थे तथा बलराम की मदद से मैंने अपने हाथ का एक ऐसा पिकचर जिसका हाथ खून से सना हुआ था घर वालों को डराने के लिए अपने भाई अनिकेत को फोन पर भेजा था फोटों को देखकर मेरे घर वाले काफी डर गये दिनांक 29.08.22 को मेरी माँ ने थाने पर जाकर लड़की के खिलाफ प्रा0पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत कराया था।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 330/22 धारा 182,195 भादवि थाना महराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. संदीप कुमार पुत्र उमाशंकर राम निवासी सिकन्दपुर आइमा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष
2. बलराम सिंह पुत्र स्व0 रामप्रसाद सिंह सा0 छितही बाजार थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO कमलकान्त वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह का0 रामबाबू यादव व का0 राहुल कुमार थाना महराजगंज आजमगढ़।